

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
(भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित)

website - eklavya.cg.nic.in

ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

☎ - 2263708 Fax - 2262558

E mail - eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/370/2025-26/10882

रायपुर दिनांक 17/12/2025

-:: स्वीकृति आदेश ::-

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु विभिन्न मदों में नीचे वर्णित तालिका में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के समक्ष कॉलम नं. 09 में उल्लेखित कुल राशि रुपये 29,28,50,000/- (शब्दों में राशि रुपये उनतीस करोड़ अठ्ठाईस लाख पचास हजार मात्र) PFMS के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को निम्नानुसार आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्रं.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	कर्मचारी वेतन भत्ता	प्रत्यक्ष व्यय अंतर्गत मेस के अतिरिक्त अन्य मद हेतु	विद्यालय संचालन सह शैक्षणिक गतिविधियों पर व्यय	राज्य प्रशा. सोसा. का व्यय अंतर्गत स्टॉफ के निःशुल्क भोजन हेतु	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगदलपुर	बस्तर	EMRS बेसोली	11.00	12.36	22.64	2.00	48.00
2		तोकापाल	EMRS मेटावाड़ा	4.00	11.28	22.84	2.00	40.12
3		लोहांडीगुड़ा	EMRS गधियाँ	15.00	10.65	26.20	2.00	53.85
4		बास्तानार	EMRS कोडेनार	18.00	10.59	25.40	2.00	55.99
5		दरमा	EMRS छिंदवाड़ा	11.00	10.53	20.72	2.00	44.25
6	कांकेर	कांकेर	EMRS अंजनी	1.00	12.18	22.90	2.00	38.08
7		नरहरपुर	EMRS सुरही	12.00	10.47	19.68	2.00	44.15
8		भानुप्रतापपुर	EMRS फरासकोट	15.00	10.62	19.97	2.00	47.59
9		दूर्गकोंदल	EMRS भंडारडिगी	10.00	9.96	18.72	2.00	40.68
10	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	EMRS कटेकल्याण	0.00	12.00	22.56	2.00	36.56
11		दंतेवाड़ा	EMRS दंतेवाड़ा	7.50	11.94	22.45	2.00	43.89
12		गीदम	EMRS हड़म	11.50	10.08	23.20	2.00	46.78
13		कुआकोण्डा	EMRS कुआँकोण्डा	7.50	9.66	19.97	2.00	39.13
14	बीजापुर	भैरमगढ़	EMRS भैरमगढ़	6.00	12.42	23.35	2.00	43.77
15		बीजापुर	EMRS बीजापुर	7.50	12.27	23.07	2.00	44.84
16		उसूर	EMRS दुर्गागुड़ा	12.00	10.26	23.10	2.00	47.36
17		भोपालपट्टनम	EMRS रुद्राराम	10.00	9.60	23.04	2.00	44.64
18	नारायणपुर	नारायणपुर	EMRS छेरीबेड़ा	0.00	11.49	21.60	2.00	35.09
19		ओरछा	EMRS छोटेडोंगर	5.50	10.71	20.80	2.00	39.01
20	सुकमा	सुकमा	EMRS सुकमा	4.00	12.33	26.97	2.00	45.30
21		कोटा	EMRS एराबोर	7.50	12.18	22.90	2.00	44.58
22		छिंदगढ़	EMRS बलातीकरा	6.00	10.68	20.08	2.00	38.76
23	कोण्डागांव	कोण्डागांव	EMRS गोलावंड	8.50	10.77	20.25	2.00	41.52
24		फरसगांव	EMRS चिचाड़ी	3.00	10.32	19.40	2.00	34.72
25		केशकाल	EMRS बेडमा	6.00	10.12	19.97	2.00	38.09
26		बड़ेराजपुर	EMRS कोरगांव	6.00	10.20	19.18	2.00	37.38
27		माकड़ी	EMRS माकड़ी	8.50	9.93	18.67	2.00	39.10

✓

क्र.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	कर्मचारी वेतन भत्ता	प्रत्यक्ष व्यय अंतर्गत मेस के अतिरिक्त अन्य मद हेतु	विद्यालय संचालन सह शैक्षणिक गतिविधियों पर व्यय	राज्य प्रशा. सोसा. का व्यय अंतर्गत स्टॉफ के निःशुल्क भोजन हेतु	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	एम.सी.बी.	खड़गवां	EMRS पोड़ीडीह	4.50	12.03	22.62	2.00	41.15
29		भरतपुर	EMRS जमथान	7.00	11.64	21.88	2.00	42.52
30	कोरिया	सोनहत	EMRS घुघरा	5.00	10.32	26.55	2.00	43.87
31	जशपुर	जशपुर	EMRS घोलेंग	7.00	12.42	23.35	2.00	44.77
32		कांसाबेल	EMRS दुढरुडांड	7.00	10.27	20.25	2.00	39.52
33		पत्थलगांव	EMRS सुखरापारा	7.00	10.77	25.97	2.00	45.74
34		फरसाबहार	EMRS फरसाबहार	17.50	5.40	10.15	2.00	35.05
35		मनोरा	EMRS मनोरा	5.00	3.60	6.77	2.00	17.37
36	सरगुजा	उदयपुर	EMRS रीखी	9.50	10.89	20.47	2.00	42.86
37		बतौली	EMRS शिवपुर	12.50	10.35	19.46	2.00	44.31
38		सीतापुर	EMRS पेतला	16.00	10.62	19.97	2.00	48.59
39		लुण्ड्रा	EMRS लुण्ड्रा	15.00	9.70	18.84	2.00	45.54
40	सूरजपुर	प्रतापपुर	EMRS खोरमा	10.00	12.03	25.44	2.00	49.47
41		ओड़गी	EMRS ओड़गी	14.50	11.91	26.88	2.00	55.29
42		प्रेमनगर	EMRS पार्वतीपुर	11.00	10.41	19.57	2.00	42.98
43	बलरामपुर	बलरामपुर	EMRS भेलवाडीह	16.50	11.70	26.74	2.00	56.94
44		कुसमी	EMRS रामनगर	17.50	12.06	27.63	2.00	59.19
45		वाड़फनगर	EMRS बरतीकला	15.00	12.09	22.73	2.00	51.82
46		राजपुर	EMRS डांडखडुवां	15.00	9.84	18.50	2.00	45.34
47		शंकरगढ़	EMRS डीपाडीह	12.50	9.63	18.10	2.00	42.23
48		रामचंद्रपुर	EMRS नवापारा	12.50	10.17	19.12	2.00	43.79
49	राजनांदगांव	राजनांदगांव	EMRS पेण्डी	0.00	11.59	22.73	2.00	36.32
50	मोहला—मानपुर—चौकी	मानपुर	EMRS खासफड़की	5.00	12.18	22.90	2.00	42.08
51		मोहला	EMRS माडिंग फीडिंग धेनु	5.00	10.47	19.68	2.00	37.15
52	बालोद	डौंडी	EMRS डौण्डी	6.00	12.04	23.58	2.00	43.62
53	गरियाबंद	छुरा	EMRS कोसमबुड़ा	10.00	12.60	23.69	2.00	48.29
54		मैनपुर	EMRS देहागुड़ा	4.50	9.99	18.78	2.00	35.27
55	बलौदाबाजार	कसडोल	EMRS सोनाखान	4.50	11.01	20.70	2.00	38.21
56	महासमुन्द	महासमुन्द	EMRS भोरिंग	6.00	11.97	26.97	2.00	46.94
57	धमतरी	नगरी	EMRS पथरीडीह	7.50	12.04	23.58	2.00	45.12
58	गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही	मरवाही	EMRS डोंगरिया	5.00	11.94	22.45	2.00	41.39
59		पेण्ड्रा	EMRS लाटा	5.00	11.25	21.15	2.00	39.40
60		गौरेला	EMRS नेवसा	5.00	10.56	19.85	2.00	37.41
61	रायगढ़	धरमजयगढ़	EMRS बयासी	9.50	11.94	25.44	2.00	48.88
62		धरघोड़ा	EMRS छरटांगर	11.00	10.74	28.12	2.00	51.86
63		लैलूंगा	EMRS लैलूंगा	6.50	7.17	19.34	2.00	35.01
64	कोरबा	कटघोरा	EMRS छुरीकला	10.00	11.88	22.33	2.00	46.21
65		पाली	EMRS लाफा	10.00	12.24	23.01	2.00	47.25
66		पोड़ीउपरोड़ा	EMRS रामपुर	9.00	10.38	19.51	2.00	40.89
67	सक्ती	सक्ती	EMRS पलाडीखुर्द	0.00	12.36	23.24	2.00	37.60
68	मुंगेली	लोरमी	EMRS बंधवा	0.00	12.51	23.52	2.00	38.03
योग				571.00	740.31	1481.19	136.00	2928.50

(शब्दों में राशि रुपये उनतीस करोड़ अठ्ठाईस लाख पचास हजार मात्र)

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक 1888, दिनांक 22.05.2025 एवं स्वीकृति आदेश क्रमांक 5856, दिनांक 01.08.2025 द्वारा जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से 09 एकलव्य विद्यालयों में नियुक्त नियमित कर्मचारियों के माह दिसंबर 2025 तक के वेतन भुगतान किये जाने हेतु "कर्मचारी वेतन भत्ता" मद में राशि आवंटित की गई है। वर्तमान परिदृश्य में जिला स्तरीय समितियों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का NESTS में संविलियन होने के कारण उक्त कर्मचारियों का वेतन NESTS द्वारा सीधे भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में "कर्मचारी वेतन भत्ता" अंतर्गत 07 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को आवंटित राशि में से गूगल शीट में प्राप्त एवं दर्शित विवरण अनुसार मार्च 2026 की स्थिति में राशि रुपये 3,33,02,000/- (शब्दों में राशि रुपये तीन करोड़ तैतीस लाख दो हजार मात्र) का बचत होना अनुमानित है।

अतः वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से कर्मचारी वेतन-भत्ता में विद्यालयवार शेष राशि रुपये 3,33,02,000/- (शब्दों में राशि रुपये तीन करोड़ तैतीस लाख दो हजार मात्र) का प्रत्याहरण करते हुये निम्नानुसार मदों में राशि पुनरावंटित किये की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्रं.	जिला का नाम	विद्यालय का नाम	प्रत्याहरित राशि	पुनरावंटित राशि				
				विद्यार्थियों पर प्रत्यक्ष व्यय		विद्यालय संचालन सह शैक्षणिक गति पर व्यय	राज्य प्रशा.सोसा. का व्यय अंतर्गत स्टॉफ के निःशुल्क भोजन हेतु	कुल आवंटित राशि
				मेस संचालन पर व्यय	मेस के अतिरिक्त अन्य मद			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	बस्तर	EMRS करपावण्ड	69.00	23.64	11.82	31.54	2.00	69.00
2	सूरजपुर	EMRS शिवप्रसादनगर	67.29	23.04	11.52	30.73	2.00	67.29
3	कबीरधाम	EMRS तरेगांव जंगल	51.93	15.36	11.52	23.05	2.00	51.93
4	कांकर	EMRS अंतागढ़	37.82	7.96	11.94	15.92	2.00	37.82
5	जशपुर	EMRS सन्ना	38.45	8.10	12.15	16.20	2.00	38.45
6	सरगुजा	EMRS मैनपाट	35.30	7.40	11.10	14.80	2.00	35.30
7	रायगढ़	EMRS छोटमुड़पार	33.23	6.94	10.41	13.88	2.00	33.23
	योग		333.02	92.44	80.46	146.12	14.00	333.02

आवंटन की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NESTS/Finance/EMRSSocietiesfinance/160/2021-22, दिनांक 01.05.2025 द्वारा जारी मदवार ब्रेकअप एवं सक्षम अधिकारी को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों की सीमा के भीतर ही राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी "सामान्य वित्तीय नियमावली 2017" में उल्लेखित अद्यतन प्रावधानों के अनुसार तथा शासन द्वारा समय-समय पर सामग्री कय हेतु निर्धारित भंडार कय नियमों एवं अद्यतन वित्तीय निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
3. "कर्मचारी वेतन भत्ता" मद अंतर्गत आवंटित राशि से केवल स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त अतिथि शिक्षक/गैर शिक्षकीय कर्मचारी/आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जावे। मेस कार्य हेतु स्वीकृत कर्मचारियों के अलावा उक्त कार्य में संलग्न अन्य स्टॉफ का वेतन मेस मद तथा सफाई कार्य इत्यादि हेतु नियुक्त कर्मचारियों का वेतन "विद्यालय संचालन पर व्यय" मदांतर्गत भुगतान किया जावे।
4. "विद्यार्थियों पर प्रत्यक्ष व्यय" अंतर्गत मेस के अतिरिक्त अन्य मदों हेतु राशि आवंटित की गई है तथा विद्यार्थियों के शाला गणवेश हेतु KVIC के माध्यम से वस्त्र प्रदाय किया जा रहा है अतः उक्त राशि में से गणवेश का कय किया जाना प्रतिबंधित है।

5. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F.NESTS/Finance/EMRSSocietiesFinance/160/2021-22, दिनांक 15.10.2024 द्वारा जेम पोर्टल के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुये भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के Government e-Marketplace (GEM पोर्टल) के माध्यम से सामग्रियों एवं सेवाओं का क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।
6. "विद्यालय संचालन पर व्यय" मदांतर्गत आवंटित राशि में से एकलव्य विद्यालय एवं छात्रावास के विद्युत देयकों का प्रतिमाह प्राथमिकता के आधार भुगतान किया जावे ताकि अधिभार की स्थिति निर्मित न हो।
7. सामग्री क्रय एवं सेवाओं के प्रकरणों में फर्मों से प्राप्त देयकों में नियमानुसार IT-TDS एवं GST-TDS की कटौती अनिवार्य रूप से की जावे तथा समय-सीमा के भीतर कटौती राशि का चालान के माध्यम से भुगतान कर निर्धारित अवधि में रिटर्न फाईल कराना सुनिश्चित करें, विलंब की स्थिति में पेनाल्टी/ब्याज अधिरोपित होने पर संस्था प्रमुख/प्राचार्यों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जावेगी, जिसके लिये वे स्वयं जवाबदेह होंगे।
8. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आवंटित की जा रही है, जिस मद में राशि आवंटित की गई है उसी मद में ही व्यय किया जावे तथा जिस खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है उसी खाते से केवल PFMS के माध्यम से ही राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय पत्रक मदवार निर्धारित प्रपत्रों में भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रदायित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त/पदेन सचिव द्वारा अनुमोदित)


वित्त नियंत्रक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़
नवा रायपुर दिनांक 17/12/2025

पृ. क्रमांक/EMRS/370/2025-26/10883

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-..... (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, एकलव्य शाखा (लेखा) मुख्यालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राशि संबंधित विद्यालय के खाते में PFMS के माध्यम से हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।
4. आहरण एवं सवितरण अधिकारी, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, आदिवासी विकास एवं जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला-..... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


वित्त नियंत्रक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़